अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3
	1	
21 26.12.2023	**न्यायालय उपायुक्त, रॉची** दाखिल खारिज अपील वाद सं० 66 आर० 15/2021–22 1. रामजी प्रसाद पिता राम लखन साहु 2. नारायण प्रसाद पिता राम लखन साहु 3. उमेश प्रसाद उर्फ रमेश प्रसाद पिता दशरथ साहु 4. उदित प्रसाद पिता दशरथ साहु 5. आदित्या प्रसाद पित दशरथ साहु सभी निवासी ग्राम मिस्त्री मोहल्ला, थाना एवं पोस्ट डोरण्डा, जिला रॉची 6. संजय साहु पिता स्व० अरविन्द साहु निवासी श्री अरविन्द नगर, नेपाल हाउस, डोरण्डा, रॉची ..... प्रार्थी बनाम 1. राज्य 2. संजय कुमार सोनी, पिता स्व० शिवलाल साव 3. संतोष कुमार सोनी पिता स्व० शिवलाल साव 4. संदीप कुमार सोनी, पिता स्व० शिवलाल साव, निवासी मोराबादी लेखराज गली, थाना–बरियातु, जिला–राँची, 5. गंगा सोनी, पिता स्व० विजय सोनी 6. बबलू सोनी, पिता स्व० विजय सोनी 7. विक्की सोनी, पिता स्व० विजय सोनी, 8. मंजु सोनी, पति–विजय सोनी, 9. विवेक सोनी, पिता–विजय सोनी, सभी निवासी ग्राम–हेसाग, थाना–जगरनाथपुर, जिला–राँची ..... उत्तरवादी आदेश प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद प्रार्थी ने उप–समाहर्त्ता भूमि सुधार सदर रॉची के द्वारा विविध वाद (जमाबंदी) सं० – 31/2018–19 मे दिनांक 06.09.2019 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है, जिसके अन्तर्गत	

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

विद्वान उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सदर, राँची ने उत्तरवादी के आवेदन के आधार पर अंचल अधिकारी, नामकुम, राँची के पत्रांक–1008(ii), दिनांक–16.08.2018 के द्वारा अग्रसारित जाँच प्रतिवेदन के आलोक में प्रारम्भ उपरोक्त विविध वाद का स्वीकृत करते हुए दशरथ साहु (प्रार्थी सं० 3 से 5 के पिता), श्री अमित कुमार वर्मन, श्रीमति अल्पना वर्मा, श्री अजय कुमार वर्मन, श्री दिनेश प्रसाद के नाम से मौजा हेसाग के खाता सं० 124, प्लॉट सं० 586 रकबा क्रमशः 0.93 डी०, 64.75 डी०, 4 कट्ठा, 4 कट्ठा, 4 कट्ठा एवं 5 कट्ठा भूमि के बावत को दाखिल खारिज वाद सं०–281 आर० 27/1993–94, 261 आर० 27/1995–96, 2035 आर० 27/2011–12, 2036 आर० 27/2011–12 2037 आर० 27/2011–12, एवं 1125 आर० 27/2013–14, द्वारा कायम जमाबंदी को विलोपित करने का आदेश पारित किया गया है।

प्रार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुसार –

मौजा–हेसाग, थाना सं०–247, जिला राँची के खाता सं०–124, प्लॉट सं०–586, रकबा 1.86 एकड भूमि खतियान में जगलाल साव के नाम से कायमी दर्ज है। खतियानी रैयत जगलाल साव के मृत्यु के उपरान्त उनके पुत्र श्यामलाल साहु उर्फ सामु साहु ने उपरोक्त भूमि निबंधन विक्रय विलेख दिनांक–13.3.1939 द्वारा प्रार्थी के पूर्वज राम प्रसाद साहु को हस्तांतरित कर दिया। उपरोक्त राम प्रसाद साहु अपने पीछे दो पुत्र राम लखन साहु एवं दशरथ साहु छोड़ गये। उक्त राम लखन साहु अपने पीछे दो पुत्र रामजी प्रसाद (प्रार्थी सं० 1) एवं नारायण प्रसाद (प्रार्थी सं० 2) छोड गये, जबकि दशरथ साहु अपने पीछे तीन पुत्र उदित प्रसाद (प्रार्थी सं० 4), आदित्या प्रसाद (प्रार्थी सं० 5) एवं उमेश प्रसाद (प्रार्थी सं० 3) छोड़ स्वर्गवास हो गये। रामजी प्रसाद ने उपरोक्त भूमि के बंटवारे हेतु वर्ष 1962 ई० मे बंटवारा वाद सं० 110/1962 दायर किया, जिसमे पारित आदेश के क्रियान्वयन हेतु दायर इजराय वाद सं० 6/1975 के द्वारा दशरथ साहु को 93 डी० एवं प्रार्थी सं०–1 रामजी प्रसाद को 64.75 डी० जिसका नामान्तरण उनके पक्ष मे क्रमशः दा०ख० वाद सं० 281 आर० 27/1993–94 एवं 261 आर० 27/1995–96 के द्वारा स्वीकृत हुआ।

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

विद्वान निम्न न्यायालय के द्वारा यह आयोजित किया गया है कि प्रार्थी के नाम से जमाबंदी प्लॉट सं० 586 के बावत कायम है, जबकि पट्टा प्लॉट सं० 506 की भूमि से संबंधित है। इस संबंध मे विद्वान अधिवक्ता के अनुसार प्रार्थी प्रश्नगत् भूमि पर सक्षम न्यायालय के द्वारा सुलह के आधार पर पारित डिक्री एवं उसके इजराय हेतु पारित आदेश के बल पर दखल प्राप्त किया है। राजस्व अभिलेख मे प्रार्थी का नाम दर्ज है तथा वे वर्ष 1939 ई० से उक्त भूमि पर दखलकार चले आ रहे है। प्रार्थी के द्वारा धारा 144 भा० द० प्र० संहिता के अन्तर्गत दायर वाद सं० एम०1562/2010 मे अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सदर के द्वारा दिनांक 24.09.2010 को प्रार्थी के पक्ष मे आदेश पारित कियां गया है।

प्रार्थी के अनुसार पूर्व मे उत्तरवादियों के द्वारा प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी को रद्द करने के प्रार्थना के साथ विविध वाद सं० 121/2011–12 दायर किया गया था, जिसे तत्कालीन विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर ने आदेश दिनांक 01.10.2012 के द्वारा खारिज कर दिया था। उनके उक्त आदेश के खिलाफ उत्तरवादियों के द्वारा दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद सं० 12 आर० 15/2012–13 दायर किया, जिसे तत्कालीन विद्वान न्यायालय के द्वारा खारिज कर दिया गया। उक्त आदेशों मे यह आयोजित किया गया है कि उत्तरवादी के द्वारा प्रस्तुत मामला स्वत्वाधिकार एवं हित की घोषणा से संबंधित है, जिसके अधिनिर्णयन राजस्व न्यायालय के द्वारा नही किया जा सकता। दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद सं० 12 आर० 15/2012–13 मे पारित आदेश अंतिमता को प्राप्त हुआ तथा प्रस्तुत वाद की कार्रवाई रेस ज्युडिकाटा के सिद्धान्तो से बाधित है।

विद्वान अधिवक्ता के अनुसार प्रार्थी के नाम से प्रश्नगत भूमि के बावत जमाबंदी लम्बे अवधि से कायम है तथा 2008 (3) जे०सी०आर० 639 (झार) मे प्रकाशित न्यायनिर्णय के अनुसार *It has been repeatedly held that a long running jamabandi cannot be cancelled, unless there is any such decree or order of a competent court or it is established in any legal proceeding that the jamabandi was created by playing fraud by raiyat or creation of such jamabandi is vitiated in law.*

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3
	4	
	उत्तरवादी सं० 3 से 10 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुसार – मौजा हेसाग, हाल थाना जगरनाथपुर, थाना संख्या 247, जिला राँची के खाता संख्या 124, प्लॉट (खेसरा) संख्या 586 रकबा 1 एकड़ 86 डीसमील भूमि उत्तरवादी सं० 3 से 10 की पैतृक/खतियानी सम्पत्ति है, जो रिविजनल सर्वे खतियान के अनुसार जगलाल साहु, पिता फिरंगी लाल साहु के नाम से कायमी दर्ज है। खतियानी रैयत जगलाल साहु, अपने जीवन काल तक उक्त जमीन पर शान्तिपूर्ण दखलकार व कब्जेदार रहे तथा अपने पीछे एकमात्र पुत्र श्याम लाल साहु उर्फ सामु साव को छोड़कर स्वर्गवास हो गए, जो अपने पीछे दो पुत्र चन्दन साव एवं शिवलाल साहु उर्फ शिबु साव को छोड़ कर स्वर्गवास हो गये। उपरोक्त चन्दन साव का देहान्त हो गया और अपने पीछे चार पुत्र (1) विजय सोनी (विपक्षी सं० 9 के पति एवं 10 के पिता), (2) गंगा सोनी (विपक्षी सं० 6), (3) बबलु सोनी (विपक्षी सं० 7) एवं (4) विक्की सोनी (विपक्षी सं० 8) को छोड़कर स्वर्गवास हो गए, जबकि उक्त शिवलाल साहु उर्फ शिबु साव अपने पीछे तीन पुत्र (1) संजय कुमार सोनी (विपक्षी संख्या 3), (2) संतोष सोनी (विपक्षी सं० 4) एवं (3) संदीप कुमार सोनी (विपक्षी सं० 5) को छोड़ कर स्वर्गवास हो गये। उक्त चन्दन साव एवं शिवलाल साव उर्फ शिबु साव की मृत्यु के पश्चात उपरोक्त खतियानी जमीन का बँटवारा करने के उद्देश्य से विपक्षी संख्या 3 अपने सहोदर भाईयों तथा चचेरे भाईयों (चन्दन साव के पुत्र) के साथ आपस में बातचीत करने लगे, तभी विपक्षी संख्या 3 से 10 को यह जानकारी हुई कि उपरोक्त खाता प्लॉट की जमीन की जमाबन्दी अंचल कार्यालय नामकुम, राँची में प्रार्थी सं० 1 से 5 के पूर्वज रामलखन साहु (प्रार्थी संख्या 1 एवं 2 के पिता) एवं दशरथ साहु (प्रार्थी सं० 3, 4 एवं 5 के पिता) के नाम से चल रहा हैं एवं सम्बन्धित अंचल कार्यालय के पंजी ।। में रामलखन साहु एवं दशरथ साहु का नाम दर्ज हैं। तत्पश्चात् विपक्षी सं० 3 ने अपने स्तर से अवर निबन्धन कार्यालय (रजिस्ट्री ऑफिस), राँची से अपनी खतियानी जमीन से सम्बन्धित जमीन हस्तान्तरण व विक्रय पत्र/ केवाला पट्टा का खोजबीन करवाया। जिसके	

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3
	5	
	पश्चात एक जमीन के सम्बन्ध में निबन्धित पट्टा की जानकारी हुई जिसकी सच्ची प्रतिलिपि दिनांक 06.09.2011 को विपक्षी संख्या 3 को प्राप्त हुआ। प्राप्त डीड संख्या 1303/1939 से ज्ञात हुआ कि मौजा हेसाग, थाना सं० 247, थाना जगरनाथपुर, जिला राँची के खाता संख्या 124, प्लॉट सं० 506, रकबा प्लॉट 1 एकड़ 86 डीसमील जमीन से सम्बन्धित हैं । उपरोक्त डीड के आधार पर उत्तरवादी ने उक्त दशरथ साहु के नाम से चल रही अवैध जमाबन्दी निरस्त करने हेतु उत्तरवादी सं० 3 के द्वारा उप–समाहर्त्ता भूमि सुधार, सदर, राँची के न्यायालय के समक्ष दिनांक 04.06.2018 को आवेदन दाखिल किया गया, जिसपर संज्ञान लेते हुए उनके द्वारा सम्बन्धित अंचल कार्यालय नामकुम, राँची से उपरोक्त निबंधित पट्टा की जमीन के सम्बन्ध में जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। तत्पश्चात अंचल अधिकारी, नामकुम, राँची ने जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया, जिसके अवलोकन से पता चला कि दिनांक 13.03.1939 को निबन्धित केवाला पट्टा संख्या 840 में मौजा – हेसाग, थाना संख्या –247 के अन्तर्गत खाता संख्या 124, प्लॉट संख्या 506 रकबा 1 एकड़ 86 डीसमील जमीन के क्रेता राम प्रसाद साहु वो शिव प्रसाद साहु पिता जय नारायण साहु द्वारा क्रय किया गया था, परन्तु आर. एस. खतियान के अनुसार मौजा – हेसाग, थाना संख्या 247, खाता संख्या 124 के अन्तर्गत प्लॉट संख्या 506 का अस्तित्व नहीं हैं एवं प्लॉट संख्या 586 का इस निबन्धन पट्टा से कोई सम्बन्ध नहीं हैं। अंचल कार्यालय नामकुम, राँची के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया गया कि वर्ष 1939 में किये गये निवन्धित केवाला पट्टा के खाता प्लॉट में अगर किसी प्रकार की त्रुटि थी तो उसका सुधारनामा पट्टा होना चाहिए था। बगैर सुधारनामा पट्टा के उक्त निबन्धित केवाला पट्टा के आधार पर प्लॉट संख्या बदलकर नामान्तरण (दाखिल खारिज) करना उचित नहीं था। निबन्धित पट्टा संख्या 840 दिनांक 13.03.1939 में खाता संख्या 124 प्लॉट संख्या 506 का उल्लेख किया गया है जब कि निबन्धित केवला पट्टा 840 दिनांक 13.03.1939 से जिन व्यक्तियों के नाम से नामान्तरण किया गया हैं वह प्लॉट संख्या 586 से सम्बन्धित हैं। प्रार्थी के पूर्वज रामलखन साहु एवं दशरथ साहु ने षडयंत्र तथा जमीन के निबन्धन	

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

केवाला पट्टा की सच्चाई को छुपाते हुए उत्तराधिकारी दाखिल खारिज वाद संख्या 261 आर०27/1995–96 को सम्बन्धित अंचल कार्यालय में प्रस्तुत कर स्वीकृत करवाया और पंजी ।। में अपना नाम दर्ज करवा लिया। अंचल अमीन के प्रतिवेदन के अनुसार उपरोक्त प्रश्नाधीन खाता प्लॉट की जमीन पर विपक्षी संख्या 3 से 10 का दखल कब्जा पूर्व से चला आ रहा है।

प्रार्थी सं० 1 एवं 2 के पिता राम लखन साहु तथा प्रार्थी 3. से 5 के पिता दशरथ साहु ने माननीय सब–जज, एवं माननीय न्यायायुक्त, व्यवहार न्यायालय, राँची के न्यायालय में निबंधित केवाला पट्टा संख्या 840 दिनांक 13.03.1939 की सच्चाई को छुपाते हुए तरह तरह के वाद आपस में बँटवारा, टाईटल अपील व इजराल वाद इत्यादि दायर करते रहे तथा माननीय व्यवहार न्यायालय, राँची को अंधेरे में रखकर फर्जी तरीके से उत्तरवादियों के खतियानी भूमि की जमाबंदी में अपना नाम अंकित करवाया हैं।

उभय पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख के समग्र अवलोकन से विदित होता है कि पूर्व मे उत्तरवादियों के द्वारा प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी को रद्द करने के प्रार्थना के साथ विविध वाद सं० 121/2011–12 दायर किया गया था, जिसे तत्कालीन विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर ने आदेश दिनांक 01.10.2012 के द्वारा खारिज कर दिया था। उनके उक्त आदेश के खिलाफ उत्तरवादियों के द्वारा दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद सं० 12 आर० 15/2012–13 दायर किया, जिसे तत्कालीन विद्वान न्यायालय के द्वारा खारिज कर दिया गया। उत्तरवादी के द्वारा ऐसा कोई तथ्य सामने नही लाया गया है, जिससे यह पता चले कि उनके द्वारा दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद सं० 12 आर० 15/2012–13 मे पारित आदेश को चुनौती दी गई है अथवा नही ? उक्त पुनरीक्षण वाद चुनौती के अभाव मे अंतिमता को प्राप्त हुआ एवं इस लिए प्रस्तुत वाद की कार्रवाई Res-Judicate के सिद्धान्तो से बाधित है।

अतः प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद स्वीकृत किया जाता है तथा उप–समाहर्त्ता भूमि सुधार सदर रॉची के द्वारा विविध वाद (जमाबंदी)

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

सं० –31/2018–19 मे दिनांक 06.09.2019 को पारित आदेश को निरस्त किया जाता है। उभय पक्ष यदि चाहे तो प्रश्नगत भूमि पर अपने स्वत्व, हित, अधिकार एवं दखल की घोषणा हेतु सक्षम न्यायालय मे वाद दायर कर सकते है।

इस आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सदर, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित करे।

उपायुक्त
रॉची

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त
रॉची

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.12.30 02:09:12 -08:00
Location: 192.168.1.4